डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. शेरसिंह पुत्र सरदार
2. रेखसिंह पुत्र सरदार
3. भूरसिंह पुत्र सरदार
4. रामराज पुत्र सरदार
5. रामौतार पुत्र सरदार
6. बादाम सिंह पुत्र सरदार
7. रूमाली देवी पत्नि सरदार

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान झाडीसा तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. बृजेश पुत्र हरिचरण जाति ब्राह्मण निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी

मु0न0ः– 10/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम झाडीसा की आराजी ख0न0 1423/0.29, 772/0.24 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 मे खातेदारान किशनलाल पुत्र सुन्दर तथा नादान पुत्र सुन्दर के आगे अ.विव. बृजेश पुत्र हरिचरण जाति ब्राह्मण को हजफ किया जाता है। तथा तहसीलदार टोडाभीम वर्णित आराजीयात मे खातेदारान किशनलाल व नादान की विरासत की जॉच कर बाद जॉच वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे

निज....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.08.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

-10/2023

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 20.01.2023

0 10/2023

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. शेरसिंह पुत्र सरदार
2. रेखसिंह पुत्र सरदार
3. भूरसिंह पुत्र सरदार
4. रामराज पुत्र सरदार
5. रामौतार पुत्र सरदार
6. बादाम सिंह पुत्र सरदार
7. रूमाली देवी पत्नि सरदार

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान झाडीसा तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. बृजेश पुत्र हरिचरण जाति ब्राह्मण निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी

उपस्थितिः— श्री हंसराम गूर्जर एडवोकट वादीगण

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झाडीसा आराजी ख0न0 1423/0.29, 772/0.24 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 स्थित है वादीगण सजरा निम्न प्रकार हैः—

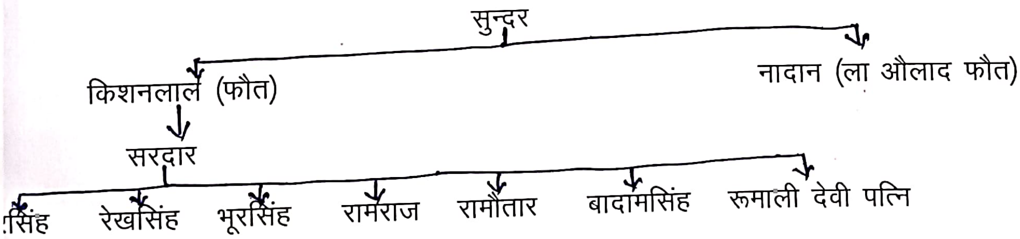

है कि वर्णित आराजीया तमे वादी न0 1 ता 6 के दादा व वादीया न0 7 के ससुर किशनलाल सुन्दर 1/2 व वादी न0 1 ता 6 के दादा के भाई व वादीया न0 7 के ससुर के भाई नादान सुन्दर हिस्सा 1/2 की खातेदारी रही है। नादान पुत्र सुन्दर अविवाहित था तथा लाऔलाद फौत आ है। किशनलाल की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सरदार था तथा सरदार की मृत्यु हो जाने पर दीगण की किशनलाल के कायम मुकाम वारिस है तथा किशनलाल के तर्के पर काबिज है। स्व0 दान पुत्र सुन्दर अविवाहित था तथा ला औलाद फौत हुआ था। स्व0 नादान के कायम मुकाम रिस भी नादान के खास भाई किशनलाल पुत्र सुन्दर के पुत्र सरदार के [illegible] पत्नि है। तथा र्णित आराजीयात को अपने नाम करवाने के अधिकारी है तथा उक्त भूमि [illegible] नादान [illegible] किशनलाल ो मृत्यु के बाद सरदार पुत्र किशनलाल काबिज था तथा [illegible] काबिज ाशत होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वर्णित आराजीयात प्रतिवादी न0 1 के यहाँ रहन नही रखी गई थी। नाही तिवादी न0 1 आराजी पर काबिज काश्त रहा है। उक्त आराजी से प्रतिवादी न0 1 का कोई

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

:–10/2023

क़ार किसी प्रकार का नही है। उक्त रहन का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो से भूलवश हो गया जिसका हजफ किया जाना नितांत आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बाका दिनांक 20.12.2022 का है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि हमारी इस मे तुम्हारा हरन का इन्द्राज है इसे कटवा दो तो प्रतिवादी न0 1 तहसीलदार टोडाभीम के पास का इन्द्राज हटवाने गये तो तहसीलदार जी ने ... का इन्द्राज हटाने से मना कर दिया लिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण ... घोषणा खातेदारी डिकी किया जाकर झाडीसा की आराजी ख0न0 1423/0.29, 772/0.24 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 का गण को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तथा प्रतिवादी न0 1 रहन श पुत्र हरीचरण जाति ब्राह्मण का इन्द्राज हजफ फरमाया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल करवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 2 पैरोकार सरकार उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 जरिये वकालत उपस्थित हुआ तथा वादीगण व वादीगण की और से राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का इरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिये वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री कर दिया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का लोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम झाडीसा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की आराजी न0 1423/0.29, 772/0.24 कुल किता 2 कुल रकवा 0.53 है0 मे किशनलाल पुत्र सुन्दर हिस्सा 2 जाति गूर्जर सा.देह खातेदार अ.विव. राहिन बृजेश पुत्र हरिचरण जाति ब्राह्मण तथा नादान सुन्दर हिस्सा 1/2 जाति गूर्जर सा.देह खातेदार अ.विव बृजेश पुत्र हरिचरण जाति ब्राह्मण दर्ज गर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ने जो राजीनामा पेश किया वह रहन बागुजास्त करने के ध मे पेश किया है। जो स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। वादीगण द्वारा र्णित आराजीयात के खातेदारान को फौत होना बताया है परन्तु वादीगण द्वारा खातेदारान का युप्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पत्रावली मे शामिल नही किया गया है। इसलिये प्रस्तुत जीनामे के अनुसार वादीगण का दावा बावत घोषणा खातेदारी आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम झाडीसा की आराजी ख0न0 1423/0.29, 772/0.24 कुल किता 2 कुल वा 0.53 है0 मे खातेदारान किशनलाल पुत्र सुन्दर तथा नादान पुत्र सुन्दर के आगे अ.विव. बृजेश हरिचरण जाति ब्राह्मण को हजफ किया जाता है। तथा तहसीलदार टोडाभीम वर्णित राजीयात मे खातेदारान किशनलाल व नादान की विरासत की जॉच कर बाद जॉच वादीगण को तेदार काश्तकार दर्ज किया जावे, पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी